# विद्यालय से दूर श्रमिक बालक – कारण तथा निदान

रश्मि श्रीवास्तव*

**भारत में बालश्रम एक गंभीर समस्या है। हमें अपने गली-मोहल्लों, गाँवों व कस्बों के इन छोटे बच्चों के हक, उनकी खुशी व उनके स्वाभिमान के लिए अवश्य ही संवेदनशील होना होगा। सरकारी स्तर पर कानूनी प्रावधान बेहतर किये जा रहे हैं किंतु इनसे समस्या की जड़ तक पहुँचना बहुत संभव नहीं है, सिर्फ़ कानून बना दिये जाने मात्र से गरीब, अनपढ़ परिवार के बच्चे विद्यालय की परिधि के भीतर बेहतर जीवन के लिए तत्पर हो सकेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। बाल मज़दूरी व बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ये दोनों ही पहलू एक दूसरे से संबंधित हैं। अत: सरकारी व गैरसरकारी दोनों ही स्तरों पर बालश्रम निषेध संबंधी क्रियाकलापों में बच्चों को श्रमिक वर्ग से पृथक रखने की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत रहना होगा।**

शहरों, कस्बों, गाँवों के गली-कूचों में खुले छोटे-बड़े विद्यालय इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शिक्षा का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, फिर गलियों के किनारे ठेलों पर, मंदिरों के आगे छोटी-बड़ी दुकानों में, स्टेशन के किनारे, चाय के ढ़ाबों पर, स्कूलों के आगे की पटरियों पर छोटे-छोटे खाने-पीने के ठेलों पर, मैले कपड़ों में काम करते कम उम्र के बच्चों की कतार क्यों? ऐसा देखा गया है कि छोटे कारखानों, घरों के छोट-बड़े घरेलू कामों (बर्तन मांजना, साफ़-सफ़ाई, कपड़े धुलना आदि), दुकानों आदि में बच्चों को श्रमिक रूप में रखना एक साधारण-सी बात है। उनकी तरफ़ प्राय: हमारी संवेदना जागती ही नहीं। हम अपने घर में अपने खुद के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करते वक्त बड़े अधिकार से गरीब घर के रखे हुए नौकर (बाल श्रमिक) से बगैर किसी दिक्कत के जूते साफ़ करा बैठते हैं। अपने स्कूल जाते बच्चे के नाश्ते का डब्बा तैयार करने में दूसरे छोटे बच्चे की मदद ले लेते हैं। दरअसल हमारे देश में बच्चों को छोटे-मोटे कामों के लिए नौकर रख लेना एक बड़ी साधारण-सी बात है। यहीं तमाम ऐसे उद्योग

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (बी.एड.) महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ,उत्तर प्रदेश

भी हैं, जिनमें बाल मज़दूरों की बड़ी संख्या काम करती है, उदाहरण स्वरूप 'तमिलनाडु के शिवकाशी में आतिशबाजी बनाने के उद्योग, मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) में गलीचा बुनने के उद्योग व राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में काँच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में हज़ारों बाल मज़दूर काम करते हैं।[1]

विकास दर, विकास की बात करने वाले जन सामान्य की नज़र इस ओर संवेदनशील हो ऐसा दिखाई नहीं देता। कम पारिश्रमिक पर बेहतर आज्ञाकारी कामगार के रूप में घरेलू काम-काज से लेकर कल कारखानों तक बाल श्रमिक नियोक्ता की पहली पसंद है। नि:संदेह शिक्षा के हमारे लक्ष्य, (14 वर्ष से कम की आयु के बालक-बालिकाओं को विद्यालय की परिधि के भीतर लाने के हमारे लक्ष्य में) को प्राप्त करने में यह मानसिकता एक बड़ी बाधा है। अत: आवश्यक है कि भारतीय जनमानस में बालश्रम के पीछे छिपे दर्द, इसमें निहित अमानवीयता व पक्षपात के प्रति संवेदन, संवेदनशीलता विकसित की जाए। गरीबी के दल-दल में फंसे कमज़ोर बाल-जनों को और गहरी गीली मिट्टी में धंसने को मज़बूर करने के बजाए उनके लिए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित की जाएँ जिसमें वे बेहतर भविष्य, बेहतर जीवन के स्वप्न देख सकें।

यहाँ हम सबसे पहले यह नज़र डालें, बालक व बालश्रम से हमारा अभिप्राय क्या है? '*बाल*' शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। नवीन बाल श्रमिक (प्रतिशोध व नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2012 में बच्चों की परिभाषा को विस्तृत कर 14 से 18 वर्ष के किशोरों तक बालक की संज्ञा दी गयी है।[2] बाल मज़दूरी (प्रतिबंध व नियंत्रण) *अधिनियम 1986 के तहत केवल 14 वर्ष से कम* आयु के बच्चों की खतरनाक उद्योगों में नियुक्ति पर प्रतिबंध है व अन्य उद्योगों में इसे नियंत्रित किया गया है। नये संशोधन द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया। संशोधित प्रावधान के अनुसार किसी भी बच्चे की किसी भी व्यवसाय या उद्योग में नियुक्ति प्रतिबंधित है। अब इसे शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया है।[3] इस विधेयक में बच्चों की परिभाषा को विस्तृत कर 14 से 18 वर्ष के किशोर व्यक्ति को खादान, विस्फ़ोटक उद्योग, रसायन व पेंट उद्योगों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया।[4]

आई.एल.ओ. ने बालश्रम को परिभाषित करते हुए कहा है कि, 'ऐसा काम, जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी मर्यादा से वंचित करता है, जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या नैतिक तौर पर बच्चों के लिए खतरनाक व हानिकारक है, जो उनकी शिक्षा में बाधा पहुँचाता है, उन्हें विद्यालय जाने के मौके से वंचित करता है, जो उन्हें बीच में ही विद्यालय छोड़ने को विवश करता है, जो उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे विद्यालय के साथ-साथ भारी भरकम काम भी करते रहें।'[5] बाल अधिकारों के लिए *संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989* में आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चों के शोषण को निषेध बताया गया है, इसके अनुसार बच्चों का किसी भी ऐसे क्षेत्र में कार्य करने को अनुचित बताया गया है, जो उनके शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए हानिकारक है।[6]

कहना ना होगा कि, बाल मज़दूरी एवं बाल दासता राष्ट्र एवं समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है, जिसे मिटाने हेतु विभिन्न तरह के वैधानिक प्रावधान किये जाने के बावजूद समाज की दम तोड़ती हुई, संवेदनशीलता व कमज़ोर कानून क्रियान्वयन उन्हें इस दलदल से उबरने नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सीमा पार मानव व्यापार के अंतर्गत बाल मज़दूरी एवं बाल दासता जैसे पक्षों को प्रमुखता से संबोधित किया है। भारत सरकार ने घरेलू कामगार या नौकर के रूप में ढ़ाबों, रेस्टरां, होटल एवं चाय की दुकान इत्यादि में बच्चों के नियोजन को सख्ती के साथ प्रतिबंधित किया है, परंतु विडंबना यह है कि अभी तक इसके सफ़ल क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, स्पष्ट है कि इसके पार्श्व में नैतिक ज़िम्मेदारी आम नागरिक की है एवं साथ-साथ कानून क्रियान्वयन संस्थाओं की।[7]

भारत में कानूनी दायरे में खतरनाक व स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले उद्योगों से बच्चों को दूर रखने के प्रावधान भी किये गये हैं। उदाहरणस्वरूप खादान *अधिनियम 1958 की धारा 45* के अनुसार "किसी भी बालक की नियुक्ति खादान में नहीं की जा सकती, ना ही वह उन खादानों में, जो ज़मीन के भीतर हों, या वह खादानें जहाँ कार्य चल रहा हो, वहाँ उपस्थित रह सकता है।[8] *मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 21* के अनुसार किसी भी बालक का किसी भी क्षमता में मोटर परिवहन कार्य क्षेत्र में कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है।"[9] बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तो) *अधिनियम 1966 की धारा 24* के अनुसार "किसी भी बालक को इस औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं है।"[10]

इन ढेरों प्रावधानों के साथ-साथ 1974 की *राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति (National Policy for Children 1974) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन, निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट (NCPL),* भारत सरकार द्वारा ऐसे सकारात्मक प्रयास है, जिससे बालश्रम की रोकथाम के व्यापक प्रयास किये गये हैं, किंतु समस्या का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में ना केवल बालक, बालिकाएँ घरेलू कामों में कार्यरत हैं बल्कि तमाम उद्योग धंधों, कल कारखानों में काम कर रहे हैं।

## भारत में बालश्रम की स्थिति

यूनिसेफ़ का अनुमान है कि विश्व स्तर पर 5-14 वर्ष के 150 मिलियन बच्चे बालश्रम में संलिप्त हैं। यह अनुमान 102 देशों के आकलन पर आधारित है। *भारत आम विश्व में बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या की मेजबानी करता है।*[11] *यूनिसेफ़ (UNICEF)* ने इस बात के भी संकेत दिये कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय कक्षा व शिक्षक की कमी के कारण बालश्रम की 90% समस्या ग्रामीण क्षेत्रों मे देखने को मिल रही है। *इंटरनेशनल लेबर आर्गनाईज़ेशन (International labour organisation)* के अनुसार कृषि क्षेत्र् में बड़ी संख्या में बच्चों की भीगीदारी है।[12] अर्थात् भारत में बालश्रम की समस्या सीधे तौर पर भौतिक सुविधाओं के अभाव से भी जुड़ी हुई है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में **10.7 मिलियन बाल**

**श्रमिक** थे। 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या **13.6 मिलियन** थी। 1981-91 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान ने एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था *कि कामकाज़ी बालकों की संख्या 1702 मिलियन (1987-88) थी।*[13] *2001 की जनगणना के अनुसार जोखिम भरे कामों में कार्यरत बच्चों (4-5)* की संख्या निम्नवत् है-[14]

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5-14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या लगभग **12.6 मिलियन** थी।[15] लगभग **120000** बच्चे जोखिम भरे कामों में लगे पाए गये।[16] **1989 में शुभ भारद्वाज** ने उल्लेख किया की "बड़ी संख्या में बच्चे पटाखे बनाने के उद्योग में काम कर रहे हैं, 2002 की *ILO* रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की, कि तमिलनाडु के आतिशबाजी, माचिस तथा लोबान उद्योग में तमाम बच्चे काम कर रहे हैं।[17] अर्थात् तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे जोखिम भरे कामों में कार्यरत हैं।"

**तालिका 1**

**2001 की जनगणना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रें में कार्यरत् बाल-श्रमिक**

| क्र.सं. | कार्यक्षेत्र | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पान बीड़ी तथा सिगरेट बनाने का काम | 252574 |
| 2 | इमारत बनाने का काम | 208833 |
| 3 | घरेलू काम काज | 185505 |
| 4 | रस्सी बनाना | 128984 |
| 5 | ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मोटल | 70934 |
| 6 | आटो, वर्क शॉप तथा साईकिल, स्कूटर आदि की मरम्मत | 49893 |
| 7 | कालीन निर्माण | 32647 |

**तालिका 2**

**1971, 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष आयु के बाल-श्रमिकों की राज्यवार स्थिति**

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित राज्य | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1627492 | 1951312 | 1661940 | 1363339 |
| 2 | आसाम | *139349 | ** | 327598 | 351416 |
| 3 | बिहार | 1059359 | 1101764 | 942245 | 1117500 |
| 4 | गुजरात | 518061 | 616913 | 523585 | 485530 |
| 5 | हरियाणा | 137826 | 194189 | 109691 | 253491 |
| 6 | हिमांचल प्रदेश | 71384 | 99624 | 56438 | 107774 |
| 7 | जम्मू कश्मीर | 70489 | 258437 | ** | 175630 |

नोट- * 1971 सेंसस फिगर ऑफ़ असम इनक्लूड्स ऑफ़ मिज़ोरम

** सेंसस नहीं किया जा सका

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | कर्नाटक | 808719 | 1131530 | 976247 | 822615 |
| 9 | केरल | 111801 | 92854 | 34800 | 26156 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 1112319 | 1698597 | 1352563 | 1065259 |
| 11 | महाराष्ट्र | 988357 | 1557756 | 1068427 | 764075 |
| 12 | छत्तीस गढ़ | - | - | - | 364572 |
| 13 | मणिपुर | 16380 | 20217 | 16493 | 28836 |
| 14 | मेघालय | 30440 | 44916 | 34633 | 53940 |
| 15 | झारखंड | - | - | - | 407200 |
| 16 | उत्तरांचल | - | - | - | 70183 |
| 17 | नागालैंड | 13726 | 16235 | 16467 | 45874 |
| 18 | उड़ीसा | 492477 | 702293 | 452394 | 377594 |
| 19 | पंजाब | 232774 | 216939 | 142868 | 177268 |
| 20 | राजस्थान | 587389 | 819605 | 774199 | 1262570 |
| 21 | सिक्किम | 15661 | 8561 | 5598 | 16457 |
| 22 | तमिलनाडु | 713305 | 975055 | 578889 | 418801 |
| 23 | त्रिपुरा | 17490 | 24204 | 16478 | 21756 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 1326726 | 1434675 | 1410086 | 1927997 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 511443 | 605263 | 711691 | 857087 |
| 26 | अण्डमान निकोबार | 572 | 1309 | 1265 | 1960 |
| 27 | अरूणांचल प्रदेश | 17925 | 17950 | 12395 | 18482 |
| 28 | चंड़ीगढ़ | 1086 | 1986 | 1870 | 3779 |
| 29 | दादरा तथा नागर | 3102 | 3615 | 4416 | 4274 |
| 30 | दिल्ली | 17120 | 25717 | 27351 | 41899 |
| 31 | दमन दीव | 7391 | 9378 | 941 | 729 |
| 32 | गोवा | - | - | 4656 | 4138 |
| 33 | लक्ष्यद्वीप | 97 | 56 | 34 | 27 |
| 34 | मिज़ोरम | *** | 6314 | 16411 | 26265 |
| 35 | पाण्डिचेरी | 3725 | 3606 | 2680 | 1904 |
| | कुल योग - | 10753985 | 13640870 | 11285349 | 12666377 |

*** सेंसस फिगर 1971 इन रिस्पैक्ट ऑफ़ मिज़ोरम इज़ इनक्लूडेड इन असम

1971, 1981,1991 तथा 2001 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष आयु के बाल श्रमिकों की स्थिति पर नज़र डालने पर पता चलता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही गयी है। 1971 में 1,07,53,985 बालश्रमिकों की संख्या 1981 में बढ़कर 1,36,40,870 हो गयी। इसी प्रकार 1991 में 1,12,85,349 बालश्रमिकों की संख्या 2001 में बढ़कर 1,26,66,377 हो गयी है। तालिका 2 में प्रस्तुत आँकड़ों द्वारा यह भी पता चलता है कि 2001 में उत्तरप्रदेश में बालश्रमिकों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक (19,27,997) थी। 1971, 1981 व 1991 में आन्ध्रप्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या क्रमश: 16,27,492, 19,51,312 तथा 16,61,940 थी, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक थी। स्पष्ट है कि बालश्रमिक पूरे देश भर में फैले हुए हैं किन्तु आन्ध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस समस्या पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

लिखित आँकड़ों व अनुमान से परे हम ज़रा ध्यान से दैनिक जीवन में अपने घरों में, अपने आस-पास की सामान्य दिनचर्या पर नज़रें खोलकर देखें तो भारत में बच्चों के रूप में श्रमिक छोटी-बड़ी कोठियों, चौराहों, ठेलों तथा ढाबों पर स्वत: देखने को मिलेंगे और तब ज़रा ध्यान से विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने छोटे, बहुत छोटे स्वार्थ के लिए समाज के एक बड़े संवेदनशील वर्ग के साथ अन्याय कर, उनके भविष्य की उन्नति के द्वार को बंद कर, देश व समाज के विकास में एक बड़े वर्ग को साझेदारी की संभावना को क्षीण कर रहे हैं। अपनी दैनिक ज़रूरतों की जोड़-तोड़ में फ़ंसे इन मासूम बच्चों को रोज़गार से जोड़, जहाँ इन बच्चों की शिक्षा प्राप्ति की संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं, वहीं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है।

## बालश्रम का कारण

अब यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर नज़र डालें। वे कौन से मुख्य कारण हैं जो बच्चों को उनके स्कूलों से पृथक कर रोज़गार के क्षेत्र में ले आते हैं। एक छोटे बच्चे का स्वाभाविक वेग तो स्कूलों के लिए ही है। उनके मन की खुशी, उनकी स्वाभाविक हँसी स्कूल क्रिया कलापों में ही है। आप देखें, अपनी रंग-बिरंगी किताबों, छोटे-बड़े बस्तों व कटी-छटी पेंसिल के साथ बच्चे कितने स्वाभाविक, कितने तृप्त दिखाई देते हैं, कितने सहज, कितने प्रफुल्लित, फिर आखिर क्या कारण है कि स्कूलों की दीवारों के भीतर पनपते स्वाभिमान को दर किनार कर 'जी हुज़ूरी' की श्रेणी में खड़े होने को विवश हैं। खुले हाथों से हवाओं को समेटते हाथों को सिकोड़ आपस में बाँध लेने को विवश हैं। यहाँ प्रमुख मुद्दा दैनिक ज़रूरतों, परिवार की आर्थिक स्थिति व अभिभावक की मज़बूरी का है। यह मज़बूरी कहीं धन की है तो कही संकीर्ण मानसिकता की है।

इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन (ILO) के अनुसार बच्चों को रोज़गार में लगा देने का प्रमुख कारण निर्धनता है। 2008 की ILO रिपोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि गाँवों में भौतिक सुविधाओं की अनुपलब्धता से भी बच्चों का एक बड़ा वर्ग छोटे-मोटे कामों में लग जाता है। बंगेरी व मेहरोबा ने

अपने अध्ययन में इन तमाम कारणों के साथ भारत में कमज़ोर श्रमिक नीति के प्रावधानों को भी प्रधान कारण माना।[19] *गंगराडे* ने निरक्षरता, बेरोज़गारी, जनसंख्या की अधिकता, भौतिक सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ वर्षों से चली आ रही परंपरा व रूढिवादी दृष्टिकोण को भी बालश्रम का एक प्रमुख कारण माना।[20]

*के. देवी* तथा *गौतम राव* ने पाण्डुचेरी के भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के बाल श्रमिकों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि ज़्यादातर बाल श्रमिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों के हैं। अध्ययन में ग्रामीण (90%) तथा शहरी क्षेत्रों में (80.8%) बालश्रम का कारण निम्न आय वर्ग का होना पाया गया।[21] बड़ी संख्या में ग़रीबी तथा बीमारी से जूझ रहे परिवारों के बच्चे अपने-अपने परिवारों का सहारा बनने हेतु छोट-मोटे रोज़गारों में लग जाते हैं[22] ये छोटे मोटे रोज़गार विद्यालय जाने की उनकी किसी संभावना को शेष नहीं रखते।

भारत में आज भी छोटे-बड़े ऋणदाता ऊँचे ब्याज़ पर ग़रीब परिवारों को कर्ज़ दिया करते हैं। देश का अशिक्षित तथा ग़रीब तबका प्राय: किसी परिवारिक आपदा पर इनसे ऋण लेकर मुसीबत में फंस जाता है। चूँकि यहाँ ऋण की उपलब्धता सहज है अत: इन छोटे-छोटे कर्ज का बोझ परिवार पर धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। कर्ज़ में फंसे परिवार इससे छुटकारा पाने के लिए, अपने घर के बच्चों को छोटे-मोटे कामों में लगा देते हैं। ये ठीक है कि बच्चों द्वारा कमाई गयी रकम परिवार को थोड़ी राहत तो देती है किंतु उनकी शिक्षा के रास्तों को प्राय: बंद कर देती है।

अब ज़रा ध्यान से देखें *यहाँ संकीर्ण क्या था? संकीर्ण थी अभिभावक की आर्थिक स्थिति, संकीर्ण था हमारा अर्थतंत्र* और इस संकीर्णता के अंधेरे रास्तों पर चलने को विवश हुए हमारे घरों के, हमारे गली मोहल्लों के छोटे बच्चे। बच्चे, जो विकास की गति, भविष्य की सम्भावनाएँ देख ही ना सके, परिवार की आर्थिक विवशता में दबे, जीवन भर दोयम दर्ज़े का जीवन जीने को अभिशप्त हुए।

*संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़-2003)* की रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि विकासशील देशों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समुदायों में लड़कियों को बहुत छोटी उम्र से ही घर के कामकाज और पैसा कमाने वाली छोटी-मोटी गतिविधियों में लगा दिया जाता है। धीरे-धीरे यह काम उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और बच्चे की दिनचर्या इन्हीं कामों के ईद-गिर्द घूमने लगती है। तब इस दिनचर्या में स्कूल की पढ़ाई के लिए जगह बना पाना मुश्किल हो जाता है।[23] और हमारी बच्चियाँ झरोखे के पार रौशनी को सिर्फ़ देख पाती हैं इन्हें छूने व महसूस करने की संभावनाएँ दूर-दूर तक नहीं होतीं।

भारत में शिक्षा की गुणवत्ता इसकी संबद्धता तथा विद्यालय की परिधि के भीतर कुछ खास न सीख पाए बालक, उनके अभिभावकों द्वारा छोट-मोटे रोज़गार में लगा दिए जाते हैं। वहीं ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ रोज़गार की तलाश में अपने-अपने समुदाय या परिवार के साथ जगह-जगह प्रवासन करने वाले परिवारों के बच्चे विद्यालय जा ही नहीं पाते और छोट-मोटे कामों में लगा दिए जाते

हैं। वहीं सस्ते श्रमिकों के लिए भारत के धनी राज्यों की माँग भी बच्चों को इस श्रम बाज़ार में प्रवेश करा देती है। कुल मिलाकर आर्थिक विवशता, शिक्षा की अनुपलब्धता, अभिभावक की उदासीनता व बालश्रम एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध दिखाई देते हैं। ऊपरी तौर पर दिखाई यही देता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अत: घरों के छोटे-बड़े बच्चे रोज़गार में लगा दिए गए, लेकिन ज़रा विचार करें, अमीर और ग़रीब दोनों ही घरों में बच्चे को काम पर भेजने और बच्चे को काम पर रखने के बीच दिलों में कुछ दबाव ना होना, कुछ ग़लत होने का अहसास ना होना समस्या का एक अन्य प्रमुख कारण है, जिनके आँकड़े उपलब्ध करा सकना तो संभव नहीं है किंतु जो इस पूरी समस्या पर हावी है।

तमाम निर्धन परिवारों में प्राय: मानसिकता ही यही है कि 8-10 वर्ष का बालक काम करने, कुछ पैसे अर्जित करने हेतु सक्षम है, वह छोटे-मोटे काम काज में लग जाए यही उसके जीवन की सही दिशा है। पढ़ाई-लिखाई तो उनके लिए नहीं है, वह तो साहब के बच्चों के लिए है। ज़रा ध्यान से देखें इस पूरी मानसिकता में मुद्दा स्वयं को शिक्षा के योग्य न समझना भी है। कपड़ों की दुकान पर सजी खूबसूरत पोशाक तो साहब के बच्चे के लिए ही है, ग़रीब अभिभावक उनकी तरफ़ देखता तक नहीं। इसी मानसिकता के तहत, स्कूल में कॉपी-किताबें तो साहब के बच्चे के लिए हैं, निर्धन श्रमिक वर्ग उस ओर देखता ही नहीं, तो आगे की संभावनाएँ भी शून्य हो गयीं। अत: समस्या की तह, उसकी परत तब तक पूरी तरह नहीं खुलेंगी जब तक ग़रीब के घर पैदा हुए बच्चे के *माँ बाप* को भी हम, उनकी बराबरी के दर्जे का अहसास नहीं देंगे। उन्हें इस मानसिकता से मुक्त नहीं करेंगे कि पढ़ाई जैसी चीज़ ना तो उनके बस की है न वे उसके लिए बने हैं। उन्हें इस बात के लिए तैयार करना कि हाड़-माँस का बना हर बच्चा पढ़ने-लिखने की बराबर की योग्यता के साथ पैदा होता है, सिर्फ़ ग़रीब घर में पैदा होने पर उसके स्कूल के योग्य ना होना सही नहीं है।

अर्थात् स्पष्ट है कि हमारी स्वयं की अव्यवस्था एवं विवशताओं ने हमारे देश के तमाम बच्चों को ऐसे काले अंधेरे के बीच खड़ा किया है, जहाँ स्वेच्छा से कोई नहीं जाएगा। हम सभ्य, सुसंस्कृत देश के संभ्रांत नागरिक अपने-अपने घरों में अपने कल-कारखानों, अपने कार्यक्षेत्र में उँची उपलब्धियाँ हांसिल कर गौरवान्वित होते बड़े लोग ज़रा पल भर को आँख बंद कर अपने स्कूलों में फलते-फूलते बचपन की यादों को मिटा उनकी जगह इन श्रमिक बालक की दिनचर्या को जगह दें।

इस स्वप्न में सुखद कुछ भी होगा क्या? बिलकुल नहीं। सुखद तो है बचपन के स्कूल की गीली सूखी मिट्टी, कक्षा में दमदारी से होते शब्दों के सही गलत उच्चारण, उत्तरपुस्तिका में खींची जाती आड़ी-तिरछी रेखाएँ, तो ज़रा प्रखर होकर हम सब प्रयासरत हों अपने आस-पास के माहौल से श्रमिक बच्चों को मुक्त कर बेहतर जीवन के लिए तैयार करने हेतु। उन्हें भी स्कूल की चारदीवारी के भीतर लाने हेतु।

यह ठीक है सरकारी स्तर पर कानूनी प्रावधान बेहतर किए जा रहे हैं किंतु इनसे समस्या की जड़ तक पहुँचना संभव नहीं है, सिर्फ़ कानून बना दिए जाने

मात्र से ग़रीब, अनपढ़ परिवार के बच्चे विद्यालय की परिधि के भीतर बेहतर जीवन को तत्पर हो सकेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता।

बालश्रम को रोकने के कानूनी प्रावधान मात्र इनका पूरा का पूरा हल नहीं हैं। हम इस बात से भी आँखे नहीं चुरा सकते कि बाल मज़दूरी से मुक्त कर इन छोटे बच्चों के लिए यदि शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की गयी, तो स्थितियाँ और अधिक बिगड़ेंगी। इस बात की पूरी संभावना है कि कोई काम-काज, पढ़ाई आदि में संलग्न न होने पर ये छोटे बच्चे खेल-कूद मस्ती के बीच गलत संगत में पड़, गलत कामों में लग जाएँ। डॉ. *महीप* ने इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए लिखा भी है "एक ओर बाल मज़दूरी पर प्रतिबंध लगाना और दूसरी ओर बच्चे को स्कूल से दूर रखने का कोई अर्थ नहीं है। सरकार को यह बात समझनी होगी कि जो बच्चे काम करते हैं, वह उनका अपना चुनाव नहीं है। उनके घरों में ग़रीबी और शिक्षा से वंचित होना उन्हें ऐसा मार्ग चुनने के लिए बाध्य कर देता है।" बाल मज़दूरी की समस्या विश्वव्यापी है। जिन देशों ने इस समस्या को आंशिक या पूरी तरह हल कर लिया है, उनका यह निष्कर्ष है कि जब तक प्राथमिक शिक्षा को बच्चे का मौलिक अधिकार मानकर अनिवार्य नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का निदान नहीं निकलेगा। अनेक राज्यों में प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की बड़ी संख्या है। उत्तर *प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मेघालय में 15 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर काम धंधों में लग जाते हैं।*[24]

अर्थात् बाल मज़दूरी व बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ये दोनों ही पहलू एक दूसरे से संबंधित हैं। अत: सरकारी व गैरसरकारी दोनों ही स्तरों पर बालश्रम निषेध संबंधी क्रियाकलापों में बच्चों को श्रमिक वर्ग से पृथक रखने की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत् होना होगा। बच्चों को विकास के अवसर, स्वास्थ्य व स्वतन्त्र वातावरण में वृद्धि के अवसर प्रदान करने होंगे। नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को क्रियान्वयन में परिवर्तित करना होगा। संक्षेप में भारत में बाल श्रम की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं-

- इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि अभिभावकों द्वारा काम-काज के क्षेत्र में बच्चों को ढकेलने के पूर्व ही यदि हमारी व्यवस्था बड़े हलके हाथों से ग़रीब घरों के बच्चों को स्कूल की परिधि के भीतर ले जाए, तो उनके जीवन की दिशा ही कुछ और होगी।
- ऐसा भी देखा गया है कि अभिभावकों की अकर्मठता के कारण भी परिवार की दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पातीं व घरों के बच्चे छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ढ़ाबे या ठेले पर काम करते छोटे बच्चे से उसके घर परिवार के बारे में बात करें, बच्चा प्राय: यह बता ही देगा कि बापू तो शराब पीकर पड़े रहते हैं। अब यहाँ स्थिति स्पष्ट है कि अभिभावक की अकर्मठता का शिकार बच्चा बना। इन अभिभावकों के लिए भी ऐसे कड़े कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जो उन्हें बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत करें।

- निर्धन, अतिनिर्धन परिवारों को सरकार व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कुछ आर्थिक संबल मिल सकें, तो अवश्य ही समस्या कुछ हद तक रोकी जा सकेगी।
- जनसंचार माध्यम सदैव ही सकारात्मक संदेशों को जनता तक पहुँचाने का सफ़ल माध्यम रहे हैं। बालश्रम की समस्या चूँकि कहीं न कहीं हमारी सुप्त संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। अत: जनसंचार माध्यम से प्रसारित संदेशों द्वारा भी इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का माहौल बनाया जा सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमारा एकजुट होना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएँ व सरकारी महकमा यदि एक साथ मिलकर काम करें, तो परिणाम उत्साहजनक होंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत ढाँचे में महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा समाहित करके भी हम इस समस्या पर गहरा प्रहार कर सकते हैं। निर्धन परिवार के अभिभावकों का अपने बच्चे के लिए स्कूल के बजाए कार्यक्षेत्रों का चुनाव इस मानसिकता का भी एक परिणाम है कि स्कूल में इतने साल क्या सीख सके, क्या बाबू बन गये, चलो कुछ काम-धंधा करें, कुछ हुनर सीखो। कितना अच्छा हो कि शब्द व अक्षर ज्ञान के साथ स्कूल में बच्चों को कुछ हस्तकौशल, क्राफ्ट या ऐसा छोटा-मोटा हुनर भी सिखाया जाए जो उनकी आयु, उनकी शारीरिक क्षमता व रूची के अनुसार हो और जिसे आगे विकसित कर वे अपनी रोज़ी-रोटी भी जुटा सकें।
- कहना न होगा की भारत में बालश्रम एक गंभीर समस्या है। हमें अपने गली-मोहल्लों, गाँवों व कस्बों के इन छोटे बच्चों के हक, उनकी खुशी व उनके स्वाभिमान के लिए अवश्य ही संवेदनशील होना होगा।[7]

अत: हमें याद रखना होगा कि बाग-बगीचों से लाल-पीले फूलों के पेड़ हटा कंक्रीट की पक्की सड़कें बना देना विकास की परिभाषा नहीं है। पक्की सड़कों पर धीमें तेज़ चलते हम स्वाभाविकता से तभी जी सकेंगे जब हमारे आस-पास फूलों-पत्तियों का हलकापन उनकी सुगंध, हवाओं से होती उनकी खड़-खड़ हमें महसूस होती हो। हमारे बच्चों की हँसी, उनकी खुशी, खुशी से चहकती आवाज़ से वातावरण में फ़ैलती खूबसूरती से सहज कुछ भी नहीं है। अत: इन आँखों की चमक, बालमन के माधुर्य से फ़ैलती महक से कोई समझौता न कर हम अपने देश के एक-एक बच्चे को उनके विकास का पूरा अवसर दें, बालपन में खुलकर हँसने दें, स्वतन्त्र हो मीठे गीत गाने दें, जीवन की तैयारी में शब्दों से, अंको से, हुनर की बारीकी से खुशी से खेलने दें।

## संदर्भ एवं टिप्पणी


1. सिंह महीप. 2006. बाल मज़दूरी का अभिशाप, *दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन,* लखनऊ, 23 नवंबर पृ.10
2. अली लियाकत. 2013. बाल मज़दूरी संबंधी कानून, शालू निगम द्वारा अनूदित, भारतीय सामाजिक संस्थान, नयी दिल्ली, पृ.1
3. ------ वही -------पृ.1
4. ------ वही -------पृ.1
5. *दैनिक जागरण*. 2013. 'बालश्रम क्या है', *बाल जागरण, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन,* लखनऊ, जून 12, पृ.4
6. मैथ्यू पी.डी. 2006. बाल मज़दूरी उन्मूलन के उपाय और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार (सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय), शालू निगम द्वारा अनूदित, भारतीय सामाजिक संस्थान, नयी दिल्ली, पृ.1
7. बच्चों के अनैतिक व्यापार एवं शोषण के रोकथाम हेतु अपील. 2006. *दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन,* लखनऊ, 3 दिसंबर, पृ.11
8. मैथ्यू पी.डी. 2006. बाल मज़दूरी उन्मूलन के उपाय और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार, पूर्वसंदर्भित पृ.22
9. ------ वही -------पृ.22
10. ------ वही -------, पृ.23
11. *दैनिक जागरण*. 2013. बालश्रम क्या है, *दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन,* लखनऊ, जून 12 पृ. 3
12. www.google.co.in/childlabour
13. पाण्डेय बालेश्वर तथा शुक्ला भारती. 2006. समाज कार्य – एक समग्र दृष्टि, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ पृ. 601
14. मिनिस्ट्रीज़ ऑफ़ लेबर एंड इंपलायमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, www.labour.nic.in
15. www.google.co.in/childlabour
16. ------ वही -------
17. ------ वही -------
18. ------ वही -------
19. ------ वही -------
20. जरनल ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट एंड सोशल साईंस रिसर्च 1, 3 दिसंबर 2012 www.borjournals.com
21. के.देवी तथा गौतम राव. 2007. स्टडी ऑफ़ चाइल्ड लेबर इन रूरल एरियाज़ ऑफ़ पाण्डिचेरी, इंडियन जर्नल ऑफ़ कम्यूनिटी मेडिसिन, अप्रैल 33 (2) पृ. 116-118, देखिये www.labour.nic.in
22. चाइल्ड लेबर लॉस्ट. 2006. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, लखनऊ, अक्तूबर 10, 2006, पृ.1
23. कैरल बैलकी. 2004. दुनिया के बच्चों की स्थिति बालिका शिक्षा और विकास, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष : (यूनिसेफ़) पृ.47
24. सिंह महीप. 2006. बाल मज़दूरी एक अभिशाप, पूर्व संदर्भित पृ.10